

कार्यालय – जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक: 480 / नि0अ0 / ई-टेण्डर / जि0प0 / 2020-21

दिनांक: 11.11.2020

ई-निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या: 421 / नि0अ0 / ई-टेण्डर / जि0प0 / 2020-21 दिनांक: 21.10.2020 द्वारा ई-निविदा की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के अंक दिनांक: 23.10.2020 तथा दैनिक समाचार पत्र अवधनामा के अंक दिनांक: 25.10.2020 को विज्ञापित प्रकाशित करायी गयी थी तथा कार्यो का विवरण वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व <http://kheri.nic.in> पर अपलोड कराकर दिनांक: 10.11.2020 तक ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि को कनेक्टिविटी न होने/सामग्राभाव के कारण अधिमान्य निविदाओं का कोरिजेन्डम नहीं लगाया जा सका। उक्त तिथि में दो या दो से कम प्राप्त निविदाओं के कार्यो (उपरोक्त पत्रांक: के कम संख्या: 1, 5, 6, 23, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 52, 109, 118, 139, 140 व 144 पर अंकित कार्य) की पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक : 13.11.2020 अपरान्ह 03.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदा दिनांक : 19.11.2020 को अपरान्ह 02.00 बजे तक उाली जा सकती है, जो दिनांक: 20.11.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से निविदा प्राप्ति के समक्ष तकनीकी बिड ऑनलाइन खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड जॉचोपरान्त फाइनेन्सियल बिड आगलाइन खोली जायेगी। शेष समस्त शर्त पूर्ववत् रहेगी। अन्य जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।



(अरविन्द कुमार राय)
अभियन्ता,

जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।



(अशोक कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी

(सुमन सिंह)
अध्यक्ष,

जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी

पू0स० : / नि0अ0 / जि0प0 / 2020-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर-खीरी।
4. मुख्य अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
5. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखीमपुर-खीरी।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखीमपुर-खीरी को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा सूचना को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
8. कैशियर जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
9. नाजिर, जिला पंचायत/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/दीवानी एवं सत्र न्यायालय लखीमपुर-खीरी को नोटिस बोर्ड पर वसूला करने हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी